विषय वस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	खंड I: मांग और सूचना मुद्रा बाज़ार	1-4
2.	खंड II: वाणिज्यिक पत्र	5-11
3.	खंड III: जमा प्रमाणपत्र	12-16
4.	खंड IV: मूल अथवा एक वर्ष की आरंभिक परिपक्वता वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर(एनसीडी)	17-21
5.	अनुबंध	
5.1	I. परिभाषाएँ	22-23
5.2	II. मांग/सूचना/आवधिक मुद्रा बाज़ार लेन देनों पर दैनिक विवरणी	24-25
5.3	III. वाणिज्यिक पत्र का प्रोफार्मा	26-27
5.4	IV. आइपीए प्रमाण पत्र	28
5.5	V. सीपी की चुकौती में चूक का ब्योरा	29
5.6	VI. सीपी की पुन: खरीद की रिपोर्टिंग	30
5.7	VII. परक्राम्य जमा प्रमाणपत्र (सीडी) का फ़ॉर्मेट	31
6.	परिशिष्ट: समेकित परिपत्रों की सूची	
6.1	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार	32-35
6.2	वाणिज्यिक पत्र	36
6.3	जमा प्रमाणपत्र	37-39
6.4	एनसीडी	40

खंड I: मांग और सूचना मुद्रा बाज़ार

1. परिचय

मुद्रा बाज़ार मुद्रा के समीपतम एवजी अल्पकालीन वित्तीय अस्तियों के लिए बाज़ार है. मुद्रा बाज़ार लिखत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नकदी के बराबर है तथा इसे कम कीमत पर शीघ्र ही नकदी में बदला जा सकता है तथा यह उधारदाताओं की अल्पकालीन अतिरिक्त राशि का उपयोग करने और उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है. मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार भारतीय मुद्रा बाज़ार का एक महत्वपूर्ण घटक है. मांग मुदा बाज़ार में निधियों का लेन देन एक दिन के लिए किया जाता है तथा सूचना मुद्रा बाज़ार में निधियों का लेन देन 2 दिन से 14 दिन की अवधि के बीच किया जाता है.

2. सहभागी

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), सहकारी बैंकों (भूमि विकास बैंकों के आलावा) तथा प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उधारकर्ता और उधारदाता, दोनों, के रूप में मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में भाग लेने की अनुमति है.

3. विवेकपूर्ण सीमा

3.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के लिए मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में बकाया उधार लेने और देने के संबंध में विवेकपूर्ण सीमा निम्नानुसार है: -

तालिका: मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में लेन देनों की विवेकपूर्ण सीमा

क्र. सं.	सहभागी	उधार लेना	उधार देना
1.	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	रिपोर्टिंग पक्ष में दैनिक औसत आधार पर बकाया उधार अंतिम लेखा परीक्षित तुलनपत्र के पूंजी कोष के 100 प्रतिशत (अर्थात टियर	रिपोर्टिंग पक्ष में दैनिक औसत आधार पर बकाया उधार देना अंतिम परीक्षित तुलनपत्र के पूंजी कोष के 25

		I और टियर II पूँजी के जोड़) से अधिक नहीं होना चाहिए. तथापि बैंकों को पक्ष दौरान किसी एक दिन उनके कोष का अधिकतम 125 प्रतिशत उधार लेने की अनुमति है.	प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. तथापि बैंकों को पक्ष के दौरान किसी एक दिन उनके पूँजी कोष का अधिकतम 50 प्रतिशत उधार देने की अनुमति है.
2.	सहकारी बैंक	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में राज्य सहकारी बैंकों/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों के बकाया उधार दैनिक आधार पर पिछले वित्त वर्ष के मार्च के अंत तक उनकी समग्र जमाराशि के 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.	कोई सीमा नहीं.
3.	पीडी	प्राथमिक व्यापारियों को रिपोर्टिंग पखवाड़े में दैनिक औसत आधार पर पिछले वित्त वर्ष के मार्च के अंत तक उनकी निवल स्वाधिकृत निधि के 225 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति है.	प्राथमिक व्यापारियों को रिपोर्टिंग पखवाड़े में दैनिक औसत आधार पर मांग/ सूचना मुद्रा बाज़ार में उनकी निवल स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति है.

3.2 ऊपर लिखित दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 के अनुसार मांग/ सूचना मुद्रा बाज़ार में बैंक/ पीडी/ सहकारी बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से उधार लेने/ देने की विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित कर सकते हैं. इस प्रकार निर्धारित सीमा,

वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग (एफएम्आर डी), भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करते हुए, एनडीएस - मांग प्रणाली में सीमा निर्धारित करने के लिए भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) को भेजी जाए.

3.3 गैर बैंक संस्थाओं को (पीडी के अतिरिक्त) मांग/ सूचना मुद्रा बाज़ार में भाग लेने की अनुमति नहीं है.

4. ब्याज दर

4.1 पात्र सहभागी मांग/ सूचना मुद्रा बाज़ार में ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं.

4.2 देय ब्याज की गणना निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और भारतीय व्ययुत्पन्न संघ (फिमडा) की बाज़ार प्रक्रिया की पुस्तिका में दिए गए तरीके के आधार पर की जाएगी.

5. कारोबारी सत्र

मांग/ सूचना/ मीयादी मुद्रा बाज़ार में कारोबार प्रत्येक कार्य दिवस को 9.00 बजे प्रात: से 5.00 बजे सायं तक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए अनुसार किया जा सकता है.

6. दस्तावेजीकरण

पात्र सहभागी फिमडा द्वारा समय समय पर सुझाया गया दस्तावेजीकरण अपना सकते हैं.

7. व्यापार

मांग/ सूचना लेन देन भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) द्वारा प्रबंध की जा रही एनडीएस - कॉल, स्क्रीन आधारित, परक्रामित, भाव संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली अथवा द्विपक्षीय संचार द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं.

8. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

8.1 परक्राम्य कारोबार प्रणाली, अर्थात एनडीएस - कॉल (स्क्रीन आधारित, परक्रामित, भाव संचालित प्रणाली) पर किए गए मांग/ सूचना /मीयादी मुद्रा में लेन देनों को अलग से रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है.

8.2 एनडीएस - कॉल सदस्यता वाली सभी पार्टियों के लिए आवश्यक है कि वे मांग/ सूचना /मीयादी मुद्रा के सभी लेन देनों की सूचना ओटीसी एनडीएस - कॉल के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर दें.

8.3 ओटीसी लेन देनों की सूचना एनडीएस - कॉल के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर 15 मिनट के भीतर डी जानी चाहिए; चाहे लेन देन की राशि कुछ भी हो तथा चाहे प्रतिपक्ष एनडीएस - कॉल का सदस्य है अथवा नहीं.

8.4 जो पार्टियां एनडीएस - कॉल की सदस्य नहीं हैं, उन्हें सूचित किया जाता है की वे लेन देनों की सूचना इस मास्टर निदेशों के अनुबंध II में दिए गए रिपोर्टिंग फॉर्मेट में वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को दें.

8.5 एनडीएस - कॉल पर ओटीसी मांग/ सूचना /मीयादी मुद्रा के सभी लेन देनों की रिपोर्टिंग का समय प्रत्येक कार्य दिवस को 5.00 बजे सांय: तक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किए अनुसार होगा.

8.6 पार्टी द्वारा ओटीसी लेन देनों की गलत अथवा दुबारा रिपोर्टिंग किए जाने पर उसकी सूचना वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई को इ मेल द्वारा अथवा फैक्स द्वारा देनी चाहिए.

8.7 आवश्यकता होने पर रिज़र्व बैंक पात्र सहभागियों को मुद्रा बाज़ार लेन देनों के संबंध में सूचना के लिए संपर्क कर सकता है.

खंड II: वाणिज्यिक पत्र

1. परिचय

वाणिज्यिक पत्र (सीपी) वचन पत्र के रूप में जारी किया जाने वाला प्रतिभूति रहित मुद्रा बाज़ार लिखत है. भारत में निजी रूप से रखा गया यह लिखत, सीपी, 1990 में इस आशय से लागू किया गया था ताकि उच्च आधार वाले कॉर्पोरेट उधारकर्ता अपने अल्पकालीन उधारों के संसाधनों का विपथन कर सकें और निवेशकों को एक अतिरिक्त लिखत उपलब्ध कराया जा सके. इसके फलस्वरूप प्राथमिक व्यापारियों (पीडी)तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) को भी सीपी जारी करने की अनुमति दी गई ताकि वे अपनी अल्पकालीन निधियन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें.

2. सीपी जारी करने हेतु पात्रता

क. कम्पनियों, पीडी और एफआइ को सीपी के माध्यम से अल्पकालीन संसाधन जुटाने की अनुमति है.

ख. कोई कम्पनी सीपी जारी करने हेतु पात्र है, बशर्ते कि:

i. कंपनी की निवल संपत्ति अद्यतन लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 4 करोड़ रु. से कम नहीं होनी चाहिए;

ii. कंपनी को बैंक/ बैंकों अथवा एफआइ द्वारा कार्यकारी पूँजी की सीमा स्वीकृत की गई है; तथा

iii. वित्तपोषण करने वाले बैंक/ संस्था द्वारा कंपनी के उधार खाते को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

3. **सीपी जारी करना -ऋण सीमा बढ़ाना आदि**

क) सीपी “एकल आधार” उत्पाद के रूप में जारी किया जाएगा. साथ ही, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे सीपी के जारीकर्ताओं को अन्य सुविधा प्रदान करें.

ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएं, अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अपने सम्बंधित बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन पर सीपी जारी करने के लिए ऋण में वृद्धि करके अन्य सहायता/ ऋण, सुविधा आदि उपलब्ध करा सकते हैं.

ग) गैर बैंक सस्थाएं (कंपनियों सहित) सीपी जारी करने के लिए ऋण में वृद्धि के लिए शर्तरहित तथा अविकल्पी गारंटी उपलब्ध करा सकती हैं; बशर्ते कि

i. जारीकर्ता सीपी जारी करने के निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे कर्ता हो.

ii. गारंटीकर्ता की ऋण पात्रता अनुमोदित सीआरए द्वारा दी गई जारी कर्ता की ऋण पात्रता से एक स्तर ऊपर हो.

iii. सीपी के लिए ऑफर दस्तावेज में इन सब का ब्योरा दिया हो-गारंटीकर्ता कंपनी की निवल संपत्ति, उन कंपनियों के नाम जिन्हें गारंटीकर्ता ने इसी प्रकार की गारंटी दी है, गारंटीकर्ता कंपनी द्वारा दी गई गारंटी की सीमा और वे शर्तें जिनके अधीन गारंटी लागू की जाएगी.

घ) किसी जारीकर्ता द्वारा जारी की जा सकने वाली सीपी की समग्र सीमा हर समय उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा अथवा विशिष्ट रेटिंग के लिए सीआरए द्वारा निर्दिष्ट सीमा, जो भी कम हो, के भीतर हो.

ङ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सीपी सहित, कंपनी के वित्त पोषण संसाधनों के स्वरूप को विधिवत हिसाब में लेते हुए कार्यकारी पूँजी सीमा निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी.

च) वित्तीय संस्था द्वारा किसी सीपी का निर्गम, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वारा वित्तीय सस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर मास्टर परिपत्र/ निदेशों में, समय समय पर निर्धारित/ अद्यतन की गई समग्र सीमा के भीतर होना चाहिए.

छ) जारी किए जाने वाले प्रस्तावित सीपी की कुल राशि जारी कर्ता द्वारा अंशदान के लिए निर्गम शुरू होने के दो सप्ताह की अवधि के भीतर जुटाई जानी चाहिए. सीपी किसी एक तारीख को अथवा अलग अलग तारीखों को, भागों में, जारी किया जा सकता है; बशर्ते कि उसकी अवधि समाप्ति की तारीख वही हो.

ज) प्रत्येक सीपी के निर्गम और प्रत्येक सीपी के नवीकरण को एक नया निर्गम माना जाएगा.

4. सीपी में निवेश के लिए पात्रता

क) सीपी में निवेश के लिए व्यक्ति, बैंक, अन्य कंपनी निकाय (भारत में पजीकृत या निगमित) तथा अनिगमित निकाय, अनिवासी भारतीय और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) पात्र होंगे.

ख) एफआइआइ सीपी में निवेश के पात्र होंगे बशर्ते कि वे i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उनके लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों. ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, विदेशी मुद्रा (जमा) विनियमावली, 2000 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2000, समय समय पर यथा संशोधित, के परंतुकों का अनुपालन करते हों.

5. लिखत का फॉर्म, जारी करने का स्वरूप और मोचन

5.1 फॉर्म

क) सीपी वचन पत्र के रूप में जारी किया जाएगा (इस निदेश के अनुबंध III में निर्दिष्ट किए अनुसार) और उसे भौतिक रूप में अथवा सेबी के पास पंजीकृत और अनुमोदित निक्षेपागार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा बशर्ते कि सभी भारिबैं विनियमित संस्थान इसमें लेन देन

करेंगे तथा ऐसे निक्षेपागारों के माध्यम से सीपी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही रखा जाएगा.

ख) सभी भारिबैं विनियमित संस्थानों के नए निवेश इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही रखे जाएँगे.

ग) सीपी 5 लाख रु. के मूल्यवर्ग और उसके गुणकों में ही जारी किए जाएँगे. एक निवेशक द्वारा किए गए निवेश की राशि 5 लाख रु. (अंकित मूल्य) से कम नहीं होनी चाहिए.

घ) सीपी जारीकर्ता द्वारा निर्धारित किए अनुसार अंकित मूल्य पर बट्टा डालकर जारी किए जाएँगे.

ङ) कोई भी जारीकर्ता सीपी की हामीदारी नहीं देगा.

च) सीपी पर (मांग /विक्रय) विकल्प की अनुमति नहीं है.

5.2 स्वरूप

क) सीपी जारी किए जाने की तारीख से न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के बीच की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाएँगे.

ख) सीपी की परिपक्वता की तारीख जारीकर्ता की ऋण पात्रता निर्धारण के वैध होने की तारीख के बाद की नहीं होगी.

5.3 जारी करने की प्रक्रिया

क) प्रत्येक जारीकर्ता सीपी जारी करने के लिए एक आइपीए नियुक्त करेगा.

ख) जारीकर्ता भावी निवेशकों को मानक बाज़ार प्रक्रिया के अनुसार अपनी अद्यतन वित्तीय स्थिति की जानकारी देगा.

ग) निवेशक और जारीकर्ता के बीच सौदे की पुष्टि होने पर जारीकर्ता आइपीए के माध्यम से निक्षेपागार में निवेशक के डीमैट खाते में सीपी जमा करने की व्यवस्था करेगा.

घ) जारीकर्ता निवेशक को इस आशय के आइपीए प्रमाणपत्र की प्रति देगा कि जारीकर्ता ने आइपीए के साथ वैध करार किया है तथा दस्तावेज सही हैं (अनुबंध IV).

5.4 रेटिंग अपेक्षा

पात्र सहभागी/ जारीकर्ता सीपी जारी करने हेतु सेबी के पास पंजीकृत किसी भी सीआरए से ऋण पात्रता प्राप्त करेंगे.सेबी द्वारा निर्धारित परिभाषा तथा रेटिंग संकेतों के अनुसार ऋण पात्रता “ए3” होगी. सीपी जारी करने के समय जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे इस प्रकार प्राप्त रेटिंग की समीक्षा नहीं की जानी है.

5.4 निवेश/ मोचन

क) सीपी में निवेशक (प्राथमिक अंशदाता) सीपी का बट्टा मूल्य का भुगतान आइपीए के माध्यम से जारीकर्ता के खाते में करेगा.

ख) डीमैट फॉर्म में सीपी का धारक सीपी का मोचन कराएगा और आइपीए के माध्यम से भुगतान प्राप्त करेगा.

5.5 दस्तावेजीकरण प्रक्रिया

क) सीपी के लिए दस्तावेजीकरण और मानकीकरण प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रिया के अनुरूप भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (फिमडा) के परामर्श से नियत की गई है.

ख) जारीकर्ता/ आइपीए, भारिबैं के अनुमोदन से, समय समय पर फिमडा द्वारा जारी परिचालानागत दिशानिर्देश पालन करेंगे.

6. सीपी का कारोबार और समायोजन

क) सभी ओटीसी लेन देनों की सूचना क्लीअर्क्रोप व्यापार डीलिंग सिस्टम (भारत) लिमि. (सीडीएस एल) के वित्तीय बाज़ार कारोबार रिपोर्टिंग और सूचना प्लेटफार्म (एफ- एफ-टीआरएसी)पर 15 मिनट के भीतर दी जानी चाहिए.

ख) एफ-टीआरएसी पर कारोबार की भौतिक रूप से पुष्टि को परिवर्तित करने की आवश्यकता में निम्नलिखित शर्तों पर छूट दी जा सकती है:

i सहभागियों के द्वारा कारोबार की भौतिक रूप से पुष्टि को परिवर्तित करने की आवश्यकता को हटाने के लिए भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा तैयार किए गए एक बार द्विपक्षीय करार अथवा बहुपक्षीय करार करके.

ii सहभागियों द्वारा वर्तमान नियमों का पालन करके यथा स्टाम्प ड्यूटी, जो भी लागू हो.

iii सहभागियों द्वारा इस संबंध में सुदृढ़ जोखिम प्रबंध ढांचे को अपनाकर तथा सभी विनियामक और कानूनी अपेक्षाओं का पालन करके.

ग) फिमडा भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (सीसीआइएल) द्वारा उन संस्थाओं के नाम वेबसाइट पर डाले जाएँगे जिन्होंने बहुपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं.

घ) सीपी में ओटीसी कारोबारों का समायोजन एनएससीसीएल, आइसीसीएल और सीसीएल द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (एनएसई); अर्थात राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन लिमि. (एनएससीसीएल), बॉम्बे शेयर बाज़ार (बीएसई) के समाशोधन गृह, अर्थात भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (आइसीसीआइएल), तथा एमसीएक्स - शेयर बाज़ार, अर्थात एमसीएक्स - एसएक्स समाशोधन निगम लिमि. (सीसीएल) द्वारा किया जाएगा.

ङ) सीपी में ओटीसी कारोबारों का समायोजन चक्र टी+0 अथवा टी+1 होगा.

7. सी पी की पुन: खरीद

क) जारीकर्ताओं द्वारा निवेशकों को जारी किए गए सीपी वे स्वयं अवधि समाप्ति से पहले पुन: खरीद सकते हैं.

ख) सीपी की पुन: खरीद द्वितीयक बाज़ार के माध्यम से उस समय के बाज़ार मूल्य पर होगी.

ग) सी पी जारी करने की तारीख से कम से कम 7 दिन से पहले नहीं ख़रीदे जाएँगे.

घ) जारीकर्ता पुन: ख़रीदे जाने की सूचना आइपीए को देगा.

ङ) सीपी की पुन: खरीद निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करके की जानी चाहिए.

8. कार्य और बाध्यताएं

जारीकर्ता, आइपीए और सीआरए के कार्य और बाध्यताएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:

I. जारीकर्ता

जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सीपी जारी करने हेतु तैयार किए गए दिशानिर्देशों और प्रक्रिया का पूर्णतया पालन हो रहा है.

II. आइपीए

क) आइपीए यह सुनिश्चित करेगा कि जारीकर्ता की ऋण पात्रता भारबैं द्वारा विहित रेटिंग के अनुसार है तथा सीपी जारी करने से जुटाई गई राशि उस रेटिंग के लिए सीआरए द्वारा निर्दिष्ट राशि के भीतर अथवा उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जो भी कम हो, के अनुरूप है.

ख) आइपीए यह प्रमाणित करेगा कि जारीकर्ता के साथ उसका वैध करार है (अनुबंध IV).

ग) आइपीए यह सत्यापित करेगा कि जारीकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज, यथा, बोर्ड के संकल्प की प्रति, प्राधिकृत निष्पादकों के हस्ताक्षर (जब सीपी भौतिक रूप से जारी किया हो) सही हैं तथा वः इस आशय का प्रमाणपत्र देगा.

घ) आइपीए द्वारा सत्यापित मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ आइपीए की अभिरक्षा में रहेंगी.

ङ) आइपीए का कार्य कर रहे सभी अनुसूचित बैंक सीपी जारी करने की तारीख से दो दिन के भीतर भारिबैं ऑनलाइन रिटर्न फाईलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) मोड्यूल पर सीपी जारी करने का ब्यौरा देंगे.

च) सीपी की चुकौती में कोई चूक होने पर आइपीए तुरंत उसका पूरा ब्यौरा मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 400 001 को इस निदेश के अनुबंध V में दिए फॉर्मेट में (इ मेल) रिपोर्ट करेगा.

छ) आइपीए जारीकर्ता द्वारा की गई सीपी की पुन: खरीद के सभी मामले भी मुख्य महा प्रबंधक, वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 400 001 को इस निदेश के अनुबंध VI में दिए फॉर्मेट में (इ मेल) रिपोर्ट करेगा.

III. सीआरए

क) सीआरए पूँजी बाज़ार लिखतों की रेटिंग के लिए सेबी द्वारा निर्धारित आचरण करेगा, जी सीपी की रेटिंग के लिए लागू होगा.

ख) जारीकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में अपनी राय के आधार पर रेटिंग की वैधता की अवधि निर्धारित करने का अधिकार सीआरए को होगा तथा रेटिंग के समय वे स्पष्ट रूप से रेटिंग की समीक्षा की तारीख का उल्लेख करेंगे.

ग) सीआरए जारीकर्ता को दी गई रेटिंग की कड़ी निगरानी करेंगे अर्थात एक नियमित अंतराल में उनके रिकॉर्ड की जाँच करते हुए अपने प्रकाशनों तथा वेबसाइट के माध्यम से रेटिंग को सार्वजानिक करेंगे.

9. कतिपय अन्य निदेशों का लागू न होना

इन दिशानिर्देशों के अनुरूप किसी एनबीएफसी द्वारा सीपी जारी करने पर जमा स्वीकार करने पर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता से जमाराशियों पर (रिज़र्व बैंक) निदेशावली 1998 में विहित कुछ भी लागू नहीं होगा.

खंड III : जमा प्रमाण पत्र

1. परिचय

जमा प्रमाणपत्र (सीडी) एक परक्राम्य मुद्रा बाज़ार का लिखत है तथा यह एक विशिष्ट अवधि के लिए बैंक अथवा अन्य पात्र वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि पर डीमैट फॉर्म में या मीयादी वचनपत्र के रूप में जारी किया जाता है.

2. पात्रता

सीडी i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर); तथा उन चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एफ आइ) द्वारा जारी किए जा सकते हैं जिन्हें भारिबैं द्वारा स्वीकृत सीमा के भीतर अल्पकालीन संसाधन जुटाने के लिए भारिबैं का अनुमोदन प्राप्त है.

3. समग्र राशि

3.1 बैंकों को अपनी निधियन आवश्यकताओं के आधार पर सीडी जारी करने की स्वतंत्रता है.

3.2 एक एफआइ बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी और समय समय पर अद्यतन किए गए एफआइ के लिए संसाधन जुटाने के लिए मानदंडों पर मास्टर परिपत्र/ निदेशों में निर्धारित समग्र सीमा तक सीडी जारी कर सकता है.

4. निर्गम की न्यूनतम राशि और मूल्यवर्ग

सीडी की न्यूनतम राशि 1 लाख रु. होनी चाहिए, अर्थात एक अंशदाता से स्वीकार की जा सकने वाली न्यूनतम जमाराशि 1 लाख रु. से कम नहीं होनी चाहिए तथा उसके बाद 1 लाख रु के गुणकों में होनी चाहिए.

5. निवेशक

सीडी व्यक्तियों, निगमों, कम्पनियों (बैंकों और पीडी सहित), न्यासों, कोषों, संघों आदि को जारी किए जा सकते हैं. अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) भी सीडी के लिए अंशदान कर सकते हैं, लेकिन केवल अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, जो प्रमाणपत्र पर स्पष्ट लिखा होगा.ऐसे सीडी को द्‌वितीयक बाज़ार में दुसरे एनआरआइ को परांकित नहीं किया जा सकता.

6. परिपक्वता

6.1 सीडी जारी किए जाने की तारीख से न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के बीच की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाएँगे.

6.2 एफआइ सीडी जारी करने की तारीख से एक वर्ष से कम और 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किए जाएँगे.

7. बट्टे/ कूपन दर

सीडी अंकित मूल्य को कम करके जारी किए जा सकते हैं. बैंक / एफआइ भी अस्थाई दर आधार पर सीडी जारी कर सकते हैं, बशर्ते कि अस्थाई दर की गणना का तरीका वस्तुपरक, पारदर्शी और बाज़ार आधारित हो.जारीकर्ता बैंक /एफआइ बट्टे /कूपन दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं. अस्थाई दर वाले सीडी पर ब्याज दर को पूर्व निर्धारित फार्मुले से आवधिक आधार पर पुन: निर्धारित करना होगा जो पारदर्शी बेंचमार्क निर्दिष्ट कर्ता है. इस बारे में निवेशक को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए.

8. आरक्षण अपेक्षाएं

बैंकों से अपेक्षा की जाती है की वे सीडी के निर्गम मूल्य पर आरक्षण अपेक्षाओं, अर्थात आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का अनुरक्षण करें.

9. अंतरणीयता

भौतिक रूप में रखे गए सीडी परांकन और सुपुर्दगी द्‌वारा आसानी से हस्तान्तर किया जा सकता है. डीमैट फॉर्म में सीडी का अंतरण लागू प्रक्रिया के अनुसार दूसरी डीमैट प्रतिभूतियों में किया जा सकता है. सीडी के लिए कोई निश्चित अवरूद्धता अवधि नहीं है.

10. सीडी में कारोबार

क) सीडी के सभी ओटीसी लेन देनों की सूचना क्लीअर्क्रोप व्यापार डीलिंग सिस्टम (भारत) लिमि. (सीडीएस एल) के वित्तीय बाज़ार कारोबार रिपोर्टिंग और सूचना प्लेटफार्म (एफ- एफ-टीआरएसी)पर 15 मिनट के भीतर दी जानी चाहिए.

ख) एफ-टीआरएसी पर कारोबार की भौतिक रूप से पुष्टि को परिवर्तित करने की आवश्यकता में निम्नलिखित शर्तों पर छूट दी जा सकती है:

i सहभागियों के द्‌वारा कारोबार की भौतिक रूप से पुष्टि को परिवर्तित करने की आवश्यकता को हटाने के लिए भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्‌वारा तैयार किए गए एक बार द्‌विपक्षीय करार अथवा बहुपक्षीय करार करके.

ii सहभागियों द्‌वारा वर्तमान नियमों का पालन करके यथा स्टाम्प ड्‌यूटी, जो भी लागू हो.

iii सहभागियों द्‌वारा इस संबंध में सुदृढ़ जोखिम प्रबंध ढांचे को अपनाकर तथा सभी विनियामक और कानूनी अपेक्षाओं का पालन करके.

ग) फिमडा भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (सीसीआइएल) द्वारा उन संस्थाओं के नाम वेबसाइट पर डाले जाएँगे जिन्होंने बहुपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं.

11 . समायोजन

सीडी में सभी ओटीसी कारोबार आवश्यक रूप से समाशोधित किए जाने चाहिए और उनका समायोजन डीवीपी I के अंतर्गत शेयर बाज़ार के प्राधिकृत समाशोधन गृहों, राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमि. (एएस सी सी एल), भारतीय समाशोधन निगम लिमि (आइ सी सी एल) और एमसीएक्स शेयर बाज़ार समाशोधन निगम लिमि. (सीसीएल), के माध्यम से होना चाहिए.

12 **. ऋण/ पुन: खरीद**

बैंक / एफआइ सीडी के लिए ऋण नहीं दे सकते हैं. साथ ही, वे अवधि समाप्ति से पहले अपनी सीडी नहीं सकते. तथापि, भारिबैं एक अलग अधिसूचना के माध्यम से अस्थाई अवधि के लिए इन प्रतिबंधों पर छूट दे सकता है.

13. सीडी का फॉर्मेट

बैंकों / एफआइ को केवल डीमैट फॉर्म में ही सीडी जारी करने चाहिए. तथापि, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अनुसार निवेशकों के पास भौतिक रूप में प्राप्त करने का विकल्प होगा. तदनुसार, यदि कोई निवेशक भौतिक रूप में प्रमाणपत्र की मांग कर्ता हा तो बैंक / एफआइ मुख्य महा प्रबंधक, वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को ऐसे मामलों के बारे में अलग से सूचित करें. साथ ही, सीडी जारी करनेपर स्टाम्प शुल्क लगेगा. बैंकों / एफआइ के लिए फॉर्मेट (अनुबंध VII) संलग्न है. सीडी की चुकौती के लिए कोई रियायत

अवधि नहीं है. यदि परिपक्वता की तारीख को छुट्टी है तो बैंक /एफआइ को पिछले कार्य दिवस को भुगतान करना होगा. अत: बैंकों / एफआइ को जमा की अवधि इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए ताकि परिपक्वता की तारीख छुट्टी के दिन न हो ताकि बट्टे / ब्याज दर की हानि से बचा जा सके.

14. सुरक्षा पहलु

चूंकि भौतिक रूप में सीडी परांकन या सुपुर्दगी से आसानी से अंतरित की जा सकती है, अत: बैंकों /एफ आइ के लिए यह आवश्यक है की वे देखें कि प्रमाणपत्र अच्छी गुणवत्ता के सुरक्षा कागज़ पर प्रिंट करे गए हैं तथा इस संबंध में भी आवश्यक सावधानी बरती गई है की दस्तावेज के साथ कोई छेड़छाड़ न की जा सके. उन पर दो य अधिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

15. प्रमाणपत्र का भुगतान

15.1 चूंकि सीडी को अंतरित किया जा सकता है, अत: उसे भौतिक रूप में संभल कर रखा जाए तथा अंतिम धारक द्‌वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाए. परांकन करने की कड़ी में कोई दोष होने पर दायित्व का प्रश्न उठ सकता है. अत:, यह वांछनीय होगा कि बैंक आवश्यक सावधानी बरतें और रेखांकित चेक द्‌वारा ही भुगतान करें. इन सदी में कारोबार करने वालों को भी उचित रूप से चेतावनी डी जाए.

15.2 डीमैट की हुए सीडी के धारक अपने सम्बंधित निक्षेपागार सहभागी के पास जाकर जारीकर्ता द्‌वारा रखे गए ‘सीडी मोचन खाते’ में विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान सं (आइएसआइएन) देकर प्रतिभूति के अंतरण या सुपुर्दगी के अनुदेश देंगे. धारक जारीकर्ता को पत्र या फैक्स द्‌वारा सूचित करते हुए अपने सम्बंधित डीपी को दिए गए सुपुर्दगी अनुदेश की प्रति संलग्न करेगा तथा वह स्थान निर्दिष्ट करेगा जहाँ भुगतान किया जाना है ताकि भुगतान अविलम्ब किया जा सके. ‘सीडी मोचन खाते’ में सीडी को डीमैट रूप

में जमा करने के अनुदेश की प्राप्ति होने पर, जारीकर्ता परिपक्वता की तारीख को बैंकर्स चेक / उच्च मूल्य के चेक आदि द्वारा धारक को भुगतान करेगा.

16. डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना

16.1 भौतिक प्रमाणपत्र खो जाने पर निम्नलिखित का अनुपालन करके डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है:

क) कम से कम एक स्थानीय अख़बार में नोटिस दिया जाना आवश्यक है;

ख) अख़बार में नोटिस देने की तारीख से पर्याप्त अवधि (15 दिन) बीत जाने के बाद; तथा

ग) सीडी के जारीकर्ता की सतुष्टि के लिए निवेशक द्वारा क्षतिपूर्ति बांड भरवा कर.

16.2 डुप्लीकेट प्रमाणपत्र कवल भौतिक रूप में ही जारी किए जाएँगे.इसके लिए नई स्टम्पिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डुप्लीकेट प्रमाणपत्र खोए हुए मूल सीडी के विरुद्ध जारी किए जा रहे हैं. डुप्लीकेट सीडी में मूल मूल्य की तारीख, देय तारीख और जारी करने की तारीख (डुप्लीकेट ---------------- को जारी किया गया) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए.

17. बैंक / एफआइ जारी करने के मूल्य की गणना 'जारी किए गए सीडी" में कर के जमा राशि में दिखा सकते हैं. बट्टे की लेखांकन प्रविष्टियाँ "नकदी प्रमाणपत्रों" के समान की जाएंगी. बैंकों /एफआइ को जारी किए गए सीडी का रजिस्टर पूरे ब्योरे के साथ बनाना चाहिए.

18. मानकीकृत बाज़ार प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण

भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (फिमडा) भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से सहभागियों द्वारा अपनाइ जाने वाली, सीडी बाज़ार के परिचालनगत लचीलेपन और सुचारू कार्य के लिए, मानकीकृत प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण निर्धारित कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रिया

के अनुरूप हो. बैंक /एफआइ इस संबंध में अप्रैल 2016 में फिमडा द्वारा जारी तथा समय समय पर संशोधित, बाज़ार प्रक्रिया पर पुस्तिका का सन्दर्भ ले सकते हैं. (http://fimmda.org).

19. रिपोर्टिंग

19.1 बैंकों को सीडी की राशि भारिबैं अधनियम 1934 की धारा 42 के अंतर्गत पाक्षिक विवरणी में सम्मिलित करनी चाहिए तथा विवरणी की पाद टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से भी दर्शानी चाहिए.

19.2 साथ ही, बैंकों/एफआइ को सीडी जारी करने के आंकड़े ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओ आर एफ एस) के अंतर्गत मोड्यूल आधारित वेब पर सम्बंधित पखवाड़े के अंत से 10 दिन के भीतर रिपोर्ट करना चाहिए.

खंड IV: मूल अथवा एक वर्ष की आरंभिक परिपक्वता वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)

1. परिभाषा

इन निदेशों के प्रयोजनों के लिए,

i. अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का अर्थ है किसी कॉर्पोरेट द्वारा मूल अथवा एक वर्ष की परिपक्वता वाले ऋण लिखत जो निजी नियोजन द्वारा जारी किए जाते हैं;

ii. "कॉर्पोरेट" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 (एनबीएफसी सहित) में पारिभाषित एक कंपनी तथा किसी विधान के अधिनियम द्वारा स्थापित निगम.

iii. एनबीएफसी गैर बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों / मार्गदर्शन का भी पालन करेंगी.

2. एनसीडी जारी करने के लिए पात्रता

कॉर्पोरेट निम्नलिखित मानदंड पूरे करने पर एनसीडी जारी करने के लिए पात्र होंगे:

i. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पात्र के अनुसार कॉर्पोरेट की मूर्त निवल संपत्ति 4 करोड़ रु से कम नहीं होनी चाहिए;

ii. कॉर्पोरेट को बैंक / बैंकों या अखिल भारतीय वित्तीय संस्था / संस्थाओं से कार्यकारी पूँजी की सीमा अथवा मीयादी ऋण स्वीकृत होना चाहिए.

iii. वित्तपोषण करने वाले बैंक / बैंकों या वित्तीय संस्था / संस्थाओं द्वारा कॉर्पोरेट के उधार खाते को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

तथापि, उपर्युक्त पैरा 2 (i) गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) और प्राथमिक व्यापारियों (पी डी) पर लागू नहीं होगा.

3. रेटिंग अपेक्षा

3.1 एनसीडी जारी करने का इच्छुक पात्र कॉर्पोरेट एनसीडी जारी करने के लिए किसी एक रेटिंग एजेंसी, यथा भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमि.(सीआरआइएस आइएल) या भारतीय निवेश सूचना और साख निर्धारण एजेंसी (आइसीआरए) या साख विश्लेषण और अनुसन्धान लिमि. (सीएआरइ) या फ़ीच रेटिंग्सइंडिया प्रा. लिमि. या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय समय पर निर्धारित अन्य किसी साख निर्धारण एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा.

3.2 न्यूनतन क्रेडिट रेटिंग सेबी द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार यह “ए 2” होनी चाहिए.

3.3 कॉर्पोरेट को यह सुनिश्चिट करना होगा कि एनसीडी जारी करने के समय इस प्रकार प्राप्त की गई रेटिंग चालू है और उसकी समीक्षा नहीं की जानी है.

4. परिपक्वता

4.1 एनसीडी जारी होने की तारीख से 90 दिन से कम की परिपक्वता के लिए जारी नहीं किए जाएँगे.

4.2 एनसीडी के साथ आप्शन (विक्रय / मांग) की तारीख, यदि कोई हो, का प्रयोग करने के लिए जारी करने की तारीख से 90 दिन के भीतर नहीं आएगी.

4.3 एनसीडी की अवधि लिखत की क्रेडिट रेटिंग की वैधता अवधि से अधिक नहीं होगी.

5. मूल्यवर्ग

एनसीडी कम से कम 5 लाख रु (अंकित मूल्य) के मूल्यवर्ग और 1 लाख रु. के गुणकों में जारी किए जाएँगे.

6. एनसीडी जारी करने की राशि और उसकी सीमा

6.1 किसी कॉर्पोरेट द्वारा जारी एनसीडी की कुल राशि ऐसी सीमा के भीतर होनी चाहिए जो कॉर्पोरेट के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा डी गई रेटिंग में दर्शाई गई, जो भी कम हो.

6.2 जारी किए जाने वाले प्रस्तावित एनसीडी की कुल राशि कॉर्पोरेट द्वारा अंशदान के लिए खोले जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए.

7. जारी करने की प्रक्रिया

7.1 कॉर्पोरेटमानक बाज़ार प्रक्रिया के अनुसार अपनी वित्तीय स्थिति प्रस्तावित निवेशकों के समक्ष रखेगा.

7.2 कॉर्पोरेट के लेखा परीक्षक निवेशकों को यह प्रमाणित करेगे कि कॉर्पोरेट द्वारा एनसीडी जारी करने के लिए इस दिशा में निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी की गई हैं.

7.3 कॉर्पोरेट द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने) विनियमावली 2008 और अन्य कोई नियम, जो भी लागू हो, का अनुपालन किया जाएगा.

7.4 डिबेंचर प्रमाणपत्र जारी करने के समय, कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा अन्य कोई लागू नियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जारी किए जाएँगे.

7.5 एनसीडी कूपन दर पर अंकित मूल्य पर या अंकित मूल्य पर बट्टे सहित शून्य कूपन लिखत के रूप में, जैसा भी कॉर्पोरेट द्वारा निर्धारित किया हो, जारी किए जाएँगे.

8. डिबेंचर न्यासी

8.1 एनसीडी जारी करने वाला प्रत्येक कॉर्पोरेट एनसीडी के हरेक निर्गम के लिए एक डिबेंचर न्यासी (डीटी) नियुक्त करेगा.

8.2 सेबी (डिबेंचर न्यासी) विनियमावली 1993, के अंतर्गत सेबी के पास डीटी के रूप में पंजीकृत कोई भी संस्था एनसीडी जारी करने के लिए डीटी का कार्य कर सकती है; बशर्ते कि वह इन निदेशों में डी गई अपेक्षाओं का पालन करे.

8.3 डीटी रिज़र्व बैंक को वः साडी सूचना देगा जो समय समय पर उनके द्वारा मांगी गई हो.

9. एनसीडी में निवेश

9.1 एनसीडी व्यक्तियों, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी), बीमा कंपनियों सहित अन्य निगमित निकायों तथा भारत में पंजीकृत तथा निगमित म्युचुअल कोषों एवं अनिगमित निकायों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) और विदेशी संस्थागत निवेशकों को जारी किए जा सकते हैं और उनके द्वारा धारित किए जा सकते हैं.

9.2 बैंकों / पीडी द्वारा एनसीडी में निवेश, उन्हें शासित करने वाले कानून और उनके विनियामकों से अनुमोदन के अधीन होंगे.

9.3 एफआइआइ द्वारा निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के वर्तमान परंतुकों तथा नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, निदेशों अथवा उनके अंतर्गत जारी नियमों के अधीन, और सेबी द्वारा समय समय पर इस संबंध में निर्धारित सीमा के भीतर होंगे.

10. कागज़ रहित बनाने के लिए वरीयता

हालाँकि जारीकर्ता और अंशदाता, दोनों के पास एनसीडी कागज़ रहित अथवा भौतिक रूप में जारी करने / धारित करने का विकल्प उपलब्ध है, तथापि उन्हें एनसीडी कागज़ रहित रूप में रखने / जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. तथापि, बैंकों, एफआइ, और पीडी से अपेक्षा की जाती है कि वे कागज़ रहित एनसीडी में ही निवेश करें.

11. भूमिका और दायित्व

11.1 कॉर्पोरेट, डीटी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआर ए) की भूमिका और दायित्व निम्नानुसार हैं:

क) कॉरपोरेट्स

11.2 कॉरपोरेट्स यह सुनिश्चित करेंगे कि एनसीडी जारी करने हेतु दिशानिर्देशों और प्रक्रिया का पालन किया जाए.

ख) **डिबेंचर न्यासी**

11.3 डीटी की भूमिका, दायित्व और कार्य तीन विनियमों से शासित रहेंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियमावली 1993 , न्यास विलेख तथा प्रस्ताव दस्तावेज .11.4

11.4 डीटी निर्गम पूरा होने की तारीख से तीन दिन के भीतर जारी करने का ब्यौरा मुख्य महा प्रबंधक, वित्तीय बाज़ार विनियम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 400 001 को रिपोर्ट करेगा.

11.5 डीटी एक वर्ष तक परिपक्वता की एनएसडी की बकाया राशि पर (तिमाही आधार पर) रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा.

11.6 एनएसडी के मोचन में हुई चूक पर निगरानी के उद्देश्य से डीटी को सूचित किया जाता है कि एनसीडी की चुकौती में हुई चूक का पूरा

ब्यौरा तुरंत वित्तीय बाज़ार विनियम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 400 001 को रिपोर्ट करें.

11.7 डीटी इन निदेशों के पैरा 10.4, 10.5 और 10.6 में मांगी गई जानकारी वित्तीय बाज़ार विनियम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 400 001 के द्वारा समय समय पर अधिसूचित फॉर्मेट में दें .

ग) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (सीआरए)

11.8 पूँजी बाज़ार लिखतों की रेटिंग करने के लिए सीआरए हेतु सेबी द्वारा सीआरए हेतु निर्धारित आचरण संहिता एनसीडी की रेटिंग के लिए उन पर लागू होगी.

11.9 जारीकर्ता की अच्छी वित्तीय स्थिति की धारणा के आधार पर रेटिंग की वैधता अवधि निर्धारित करने का विवेकाधिकार सीआरए को होगा. तदनुसार, सीआरए, रेटिंग के समय स्पष्ट रूप से वः तारीख दें जब रेटिंग की समीक्षा की जानी है.

11.10 जबकि सीआरए क्रेडिट रेटिंग की वैधता अवधि का निर्णय ले सकते हैं, वे कॉरपोरेट्स को दी गई रेटिंग की कड़ी निगरानी करें, जैसे: एक नियमित अंतराल पर उनके रिकॉर्ड की जाँच करें और अपने प्रकाशनों तथा वेबसाइट से उनकी रेटिंग को सार्वजानिक करें.

12. दस्तावेजी प्रक्रिया

12.1 एक वर्ष की परिपक्वता वाले एनसीडी के जारीकर्ता भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा रिज़र्व बैंक के परामर्श से समय समय पर तैयार किए गए प्रकटीकरण दस्तावेज का पालन करें.

12.2 निदेशों का उल्लंघन दंडनीय है, जिसमें संस्था को एनसीडी बाज़ार से हटाया जा सकता है.

अनुबंध I

परिभाषाएँ

इन निर्देशों में, जब तक कोई और संदर्भ न हो :

1. भारिबैं का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक.
2. “कॉल मनी” का अर्थ है एक दिवसीय कोष में कारोबार.
3. “नोटिस मनी” का अर्थ है 2 -14 दिन के लिए कोष में कारोबार.
4. “मीयादी मुद्रा” का अर्थ है 15 दिन से एक वर्ष के लिए कोष में कारोबार.
5. “पखवाडा” रिपोर्टिंग शुक्रवार के आधार पर होगा तथा इसका अर्थ शनिवार से दुसरे अगले शुक्रवार की अवधि होगी,जिसमें दोनों दिन शामिल होंगे.
6. “बैंक” या “बैंकिंग कंपनी “ का अर्थ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में पारिभाषित बैंकिंग कंपनी अथवा उसके खंड (डीए), खंड (एनसी),और खंड (एनडी) में पारिभाषित क्रमश: “तदनुरूपी नया बैंक”, भारतीय स्टेट बैंक” अथवा “अनुषंगी बैंक” होगा जिसमें अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआइ) में पारिभाषित किए अनुसार “सहकारी बैंक” सम्मिलित हैं.
7. “अनुसूचित बैंक” का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक.
8. “प्राथमिक व्यापारी (पीडी)” का अर्थ है रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पीडी के रूप में प्राधिकार का वैध पत्र धारण करने वाली वित्तीय संस्था.
9. “कंपनी” का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 में पारिभाषित कंपनी.
10. “जारीकर्ता और आदाता एजेंट (आइपीए)” का अर्थ है आइपीए के रूप में कार्य करने वाला अनुसूचित बैंक.

11. “सीआरए “ का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी .
12. “अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं” का अर्थ वे वित्तीय संस्थाएं हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक से विशिष्ट रूप से मीयादी मुद्रा, मीयादी जमा, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र तथा अंतर कंपनी जमा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा, जहाँ लागू हो, के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति प्राप्त है.
13. “गैर बैंकिंग कंपनी” का अर्थ है बैंकिंग कंपनी से इतर कोई कंपनी.
14. “गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी” का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धरा 45 I (एफ) में पारिभाषित कंपनी.
15. “पूँजी कोष” का अर्थ है संस्था के अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र घोषित किए अनुसार टियर I और टियर II पूँजी का जोड़.
16. भारिबैं अधिनियम, 1934 के अनुसार पीडी के लिए एनओएफ की गणना अ) कंपनी के अद्यतन तुलन पत्र में दर्शाई गई प्रदत्त इक्विटी पूँजी और आरक्षित राशि में से i) हानि का संचयी शेष; ii) आस्थगित राजस्व व्यय; iii) अन्य अगोचर आस्तियां कम करने के बाद तथा आ) ऐसी कंपनी की i) उनकी अनुषंगी कंपनियों ii) उसी समूह की कंपनियों iii) अन्य सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के शेयरों में किया गया निवेश; तथा डिबेंचरों, बांडों पर बकाया ऋणों और अग्रिमों (किराया खरीद और पट्टे पर वित्त) तथा i) ऐसी कम्पनियों की अनुषंगी कम्पनियों; और उसी समूह की कम्पनियों के पास जमाराशियां जो ऊपर अ) के दस प्रतिशत से अधिक हो, से की जाएगी.

17. इसमें प्रयोग किए गए शब्द और वाक्यांश, जिन्हें यहाँ पारिभाषित नहीं किया गया है, उनका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 में बताए गए अनुसार वही होगा.

अनुबंध II

मांग/ नोटिस/ मीयादी मुद्रा बाज़ार लेन देनों पर दैनिक विवरणी

(इ मेल अथवा फैक्स द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

मुख्य महा प्रबंधक,

भारतीय रिज़र्व बैंक,

वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग,

23 वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय,

मुंबई - 400 001

फैक्स - 91-22-22702290

इमेल

बैंक/ संस्था का नाम :

कोड सं. (भारिबैं द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार):

तारीख :

		उधार ली गई राशि			उधार दी गई राशि		
		राशि (करोड़ रु)	ब्याज दरों की सीमा (% वार्षिक)	भारित औसत ब्याज दरें (% वार्षिक)	राशि (करोड़ रु)	ब्याज दरों की सीमा (% वार्षिक)	भारित औसत ब्याज दरें (% वार्षिक)
	1. मांग मुद्रा (एकदिवसीय)						

2. नोटिस मुद्रा						
(2-14 दिन)						
अ) दिन को लेन देन						
आ) बकाया * (दिन के लेन देन सहित)						
3.मीयादी मुद्रा @ अ)दिन में लेन देन						
(15 दिन-1 माह)						
(1 माह - 3 माह)						
(3 माह - 6 माह)						
(6 माह - 1 वर्ष)						

*बकाया के संबंध में दर देने की आवश्यकता नहीं है.

@ जहाँ लागू हो.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुबंध III

वाणिज्य पत्र (सीपी) का प्रोफोर्मा

जिस राज्य में जारी किया जाना है वहां
लागू दरों के अनुसार स्टाम्प किया जाए.

(जारीकर्ता कंपनी / संस्था का नाम)

क्रम सं.

जहाँ जारी किया गया ________________________(स्थान)

जारी करने की तारीख ______________________________

परिपक्वता अवधि :___________________रियायत अवधि के बिना.

(यदि यह तारीख छुट्टी के दिन आती है तो भुगतान पिछले कार्य दिवस को करना होगा.)

जिससे मूल्य प्राप्त किया __________________________________

(जारीकर्ता कंपनी / संस्था का नाम)

एतदद्वारा____________________________________को

(निवेशक का नाम)

____

(जारीकर्ता कंपनी / संस्था का नाम)

की ओर से / को _____________________________________

(जारीकर्ता और आदाता एजेंट का नाम)

यह वाणिज्यिक पत्र प्रस्तुत करने तथा सौंपने पर ऊपर निर्दिष्ट परिपक्वता की तारीख को उक्त राशि _______________________________________को

(जारीकर्ता कंपनी और आदाता एजेंट का नाम)

अथवा आदेश से भुगतान करने का वचन देता हूँ.

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

इस वाणिज्यिकपत्र पर सभी परांकन स्पष्ट होने चाहिए. प्रत्येक परांकनउसके लिए आबंटित स्थान पर लिखा जाना चाहिए.

__________________________को अथवा आदेश से राशि का भुगतान किया जाए.
(अंतरिती का नाम)

____के लिए अथवा की ओर से
(अंतरण कर्ता का नाम)

---

1. “
2. “

अनुबंध IV

आइपीए प्रमाण पत्र

हमारा ____

(जारीकर्ता कंपनी / संस्था का नाम)

के साथ वैध करार है.

2. हमने दस्तावेजों, यथा बोर्ड के संकल्प तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी ______________________________________ द्वारा

(जारीकर्ता कंपनी / संस्था का नाम) प्रस्तुत प्रमाण पत्र का सत्यापन कर लिया है और हम प्रमाणित करते हैं कि दस्तावेज सही हैं. मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ हमारी अभिरक्षा में हैं.

3. " हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमने रु.________________________ (____रूपये) के लिए दिनांक________________हेतु क्र. स. _____________________वाले संलग्न वाणिज्यिक पत्र के निष्पादक के हस्ताक्षरों का मिलान ____द्वारा फाइल

(जारीकर्ता कंपनी / संस्था का नाम)

किए गए नमूना हस्ताक्षरों से कर लिया है.

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(जारी कर्ता और आदाता एजेंट का नाम और पता)

स्थान :

तारीख :

*(भौतिक रूप के वाणिज्यिक पत्र पर लागू / जो लागू न हो उसे काट दें)

अनुबंध V

सी पी की चुकौती पर चूक का ब्योरा

जारी कर्ता का नाम	सी पी जारी करने की तारीख	राशि (करोड़ रु में)	चुकौती की देय तारीख	आरंभिक रेटिंग	अंतिम रेटिंग	क्या सी पी निर्गम में आपाती सहायता/ क्रेडिट बेक स्टॉप सुविधा/ गारंटी है?	यदि हाँ,तो कालम (7) पर निर्दिष्ट सुविधा उपलब्ध करने वाली संस्था का नाम	क्या कालम (7) पर सुविधा का उपयोग करके भुगतान किया गया?
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध VI

सी पी की पुन: खरीद की रिपोर्टिंग

कारोबार की तारीख	जारीकर्ता	आइएसआइ एन	जारी करने की तारीख	परिपक्वता की तारीख	राशि (करोड़ रु. में)	#पुन: खरीद का स्वरूप

निर्दिष्ट करें कि क्या सी पी जारी कर्ता द्वारा किए गए.

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

अनुबंध VII

परक्राम्य जमा प्रमाण पत्र (सी डी) का फॉर्मेट

बैंक / संस्था का नाम

सं.

रु. ____________

तारीख _____________

परक्राम्य जमा प्रमाण पत्र

आज की तारीख के ________________________ माह / दिन बाद

_______________________< स्थान > पर ______________________

______________<बैंक / संस्था का नाम >______________________

< जमा कर्ता का नाम > को अथवा उसके आदेश से उक्त स्थान पर इस लिखत को प्रस्तुत करने तथा सौंपने पर ली गई जमाराशि का रु._______________ < शब्दों में > _______________________के भुगतान का वचन देता है.

______________________________ के लिए < संस्था का नाम >

परिपक्वता की तारीख _______________________________ बिना रियायत के दिनों के .

अनुदेश	परांकन	तारीख
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	

परिशिष्ट

समेकित परिपत्रों की सूची - मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	**विषय** वस्तु
1.	दि.12 अप्रैल 1990 का सीपीसी.बीसी. 103/279 ए - 90	**मांग मुद्रा बाज़ार तक पहुँच**
2.	**दि. 18 अप्रैल 1990 का डीबीओडी सं. डीआइआर.बीसी.97/सी.347-90**	**वही**
3.	दि. 12 अप्रैल 1991 का सीपीसी.बीसी. 111/279 ए-91	**मांग / सूचना मुद्रा और बिल पुनार्भुनायी बाज़ार**
4.	दि. 17 अप्रैल 1995 का सीपीसी.बीसी. 144.07.01.279/94-95	**मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार तक व्यापक पहुँच**
5.	**दि.27 जून 1995 का सदर्भ. डीबीओडी. सं. एफएससी.बीसी 68/24.91-95**	
6.	दि. 15 अप्रैल 1997 का सीपीसी.बीसी. 162/07.01.279/96-97	**मुद्रा बाज़ार - डीएफएचआइ के माध्यम से लेन देन करना.**
7.	दि. 21 अप्रैल 1997 का सीपीसी.बीसी. 165/07.01.279/97-98	**मुद्रा बाज़ार - प्राथमिक व्यापारियों के माध्यम से लेन देन करना.**
8.	दि. 29 अप्रैल 1998 का सीपीसी.बीसी. 175/07.01.27/97-98	**मुद्रा बाज़ार**
9.	दि. 20 अप्रैल 1999 का सीपीसी.बीसी. 185/07.01.279/98-99	**मुद्रा बाज़ार के विकास के उपाय - मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार**
10.	दि. 24 अप्रैल 1999 का **सन्दर्भ सं.**	**मांग / सूचना मुद्रा और बिल**

	एमपीडी.2785/279 (एमएम)/98-99	**पुनार्भुनायी बाज़ार - लेन देन करना**
11.	दि. 29 अक्तूबर 1999 का सीपीसी.बीसी 190/07.01.279/99-2000	**मुद्रा बाज़ार**
12.	दि. 27 अप्रैल 2000 का सीपीसी.बीसी. 196/07.01.279/99-2000	**मुद्रा बाज़ार**
13.	दि. 28 अप्रैल 2000 का **सन्दर्भ सं. एमपीडी.3513/279ए(एमएम)/99-2000**	**मांग / सूचना मुद्रा और बिल पुनार्भुनायी बाज़ार - लेन देन करना - वर्ष 2000 -01 के लिए मुद्रा और ऋण नीति पर विवरण के उद्धरण**
14.	दि. 10 अक्तूबर 2000 का एमपीडी.बीसी. 201/07.01.279/2000 -01	**मांग मुद्रा बाज़ार में गैर बैंकों को उधार देने की अनुमति**
15.	दि. 19 अप्रैल 2000 का एमपीडी.बीसी. 206/07.01.279/2000-01	**केवल अंतर - बैंक मांग मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसर**
16.	दि. 19 अप्रैल 2001 का डीएस. पीसीबी. परि.40/13.01.00/2000-01	**मांग मुद्रा बाज़ार में परिचालन**
17.	दि. 21 अप्रैल 2001 का एमपीडी. 2991/03.09.01.279/2000-01	**मांग मुद्रा बाज़ार में भागीदारी**
18.	दि. 8 मई 2001 का एमपीडी.3173/03.09.01/2000-01	**मांग मुद्रा बाज़ार में भागीदारी**
19.	दि. 25 मई 2001 का **सदर्भ.डीबीओडी. सं.एफएससी.बीसी 125/24.92.001/2000-01**	**मांग मुद्रा बाज़ार और बिल पुनार्भुनायी योजना में भागीदारी की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी**
20.	दि. 29 अप्रैल 2002 का एमपीडी.बीसी.	**मुद्रा बाज़ार - केवल अंतर - बैंक**

	21/07.01.279/2001-02	**मांग मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसर**
21.	दि. 24 जून 2002 का डीएस .पीसीबी.परि 52/13.10.00/2001-02	मांग मुद्रा लेन देनों की रिपोर्टिंग
22.	दि. 27 जून 2002 का एमपीडी. 217 /07.01.279/2001-02	**मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार पर विश्वसनीयता : विवेकपूर्ण मानदंड**
23.	दि. 31 जुलाई 2002 का एमपीडी. 220 /07.01.279/2002-03	**प्राथमिक व्यापारियों के लिए मांग मुद्रा बाज़ार तक पहुँच : विवेकपूर्ण मानदंड**
24.	दि. 29 अक्तूबर 2002 का एमपीडी. 222 /07.01.279/2002-03	**मुद्रा बाज़ार**
25.	दि. 14 नवम्बर 2002 का एमपीडी. 225 /07.01.279/2002-03	**मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार पर विश्वसनीयता : विवेकपूर्ण मानदंड**
26.	दि. 11 दिसम्बर 2002 का एमपीडी. 226 /07.01.279/2002-03	**मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार पर विश्वसनीयता : विवेकपूर्ण मानदंड**
27.	दि. 26 मार्च 2003 का **डीबीओडी.एफएससी.बीसी.85/ 24.91.001/2002-03**	**मांग मुद्रा बाज़ार और बिल पुनार्भुनायी योजना में भागीदारी की अनुमति - निजी क्षेत्र के म्युचुअल कोष**
28.	**डीबीओडी.एफएससी.बीसी.86/24.91.001/2002-03**	**मांग/सूचना/मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनार्भुनायी योजना में भागीदारी की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी**
29.	दि.29 अप्रैल 2002 का एमपीडी.बीसी. 230/07.01.279/2001-02	**मुद्रा बाज़ार - केवल अंतर - बैंक मांग मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसर**

30.	दि. 29 अप्रैल 2003 का एमपीडी.बीसी. 234/07.01.279/2002-03	**मांग/सूचना/मीयादी मुद्रा बाज़ार में गैर बैंक संस्थाओं की भागीदारी**
31.	दि. 29 अप्रैल 2002 का एमपीडी.बीसी. 230/07.01.279/2001-02	**एनडीएस प्लेटफार्म पर मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार लेन देनों की रिपोर्टिंग**
32.	दि. 3 नवम्बर 2003 का एमपीडी.बीसी. 241/07.01.279/2003-04	**मुद्रा बाज़ार - केवल अंतर - बैंक मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसर**
33.	दि. 5 नवम्बर 2003 का एमपीडी.बीसी. 244/07.01.279/2003-04	**मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में प्राथमिक व्यापारियों की पहुँच**
34.	दि. 5 नवम्बर 2003 का एमपीडी.बीसी.242/07.01.279/2003-04	**मुद्रा बाज़ार - केवल अंतर - बैंक मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसर**
35.	दि. 25 मई 2004 का एमपीडी.बीसी. 250/07.01.279/2003-04	**मुद्रा बाज़ार - केवल अंतर - बैंक मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसर**
36.	दि. 3 जुलाई 2005 का एमपीडी.बीसी. 253/07.01.279/2004-05	**मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार परिचालनों पर मास्टर परिपत्र**
37.	दि. 26 अक्टूबर 2004 का एमपीडी.बीसी.259/07.01.279/2004-05	**मुद्रा बाज़ार - केवल अंतर - बैंक मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसर**
38.	दि. 10 दिसम्बर 2004 का एमपीडी.बीसी.260/07.01.279/2004-05	**मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार लेन देनों की रिपोर्टिंग**
39.	दि. 29 अप्रैल 2005 का एमपीडी.बीसी. 265/07.01.279/2004-05	**मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार - बेंचमार्क की समीक्षा**

40.	दि. 29 अप्रैल 2005 का एमपीडी.बीसी. 266/07.01.279/2004-05	**मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में भागीदारी**
41.	दि. 29 अप्रैल 2005 का एमपीडी.बीसी. 267/07.01.279/2004-05	**एनडीएस प्लेटफार्म पर मीयादी मुद्रा बाज़ार लेन देनों की रिपोर्टिंग**
42.	दि. 2 सितम्बर 2009 का आइडीएमडी. पीडीआरडी.सं.1096/03.64.00/2009-10	**एकल प्राथमिक व्यापारी - मांग/सूचना मुद्रा की उधार सीमा में वृद्धि**
43.	दि. 25 सितम्बर 2012 का एफएमडी. एमएसआरजी.सं.71/02.02.001/2012-13	**ओटीसी मांग/सूचना/मीयादी मुद्रा बाज़ार लेन देनों की रिपोर्टिंग**
44.	दि. 26 फरवरी 2014 का आइडीएमडी/ पीसीडी.सं.11/14.01.01/2013-14	**मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार परिचालन**

समेकित परिपत्रों की सूची - वाणिज्यिक पत्र

क्र.सं.	**सन्दर्भ सं.**	**तारीख**	**विषय**
1.	**आइडीएमडी.पीसीडी. 20/14.01.02/2011-12**	**5 मार्च 2012**	**जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी)में ओटीसी लेन देनों का समायोजन**
2.	**आइडीएमडी.पीसीडी. 07/14.01.02/2012-13**	**1 जनवरी 2013**	**वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करने के लिए दिशानिर्देश**
3.	**आइडीएमडी.पीसीडी. 12/14.03.02/2012-13**	**26 जून 2013**	**जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी)में ओटीसी लेन देनों का समायोजन**

4.	आइडीएमडी.पीसीडी. 13/14.01.02/2013-14	25 जून 2014	एफ - ट्रैक पर ओटीसी लेन देनों की रिपोर्टिंग - सीडीएसआइ एल को देना
5.	एफएमआरडी. डीआइआरडी. 01/14.01.02/2014-15	19 दिसम्बर 2014	एफ - ट्रैक - प्रतिपक्ष पुष्टि
6.	एफएमआरडी.एफएमआइडी. 8/14.01.02/2015-16	28 अप्रैल 2016	एफ - ट्रैक

समेकित परिपत्रों की सूची - जमा प्रमाण पत्र

क्र.सं.	संदर्भ सं.	तारीख	विषय
1.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.134/65-89	6 जून 1989	जमा प्रमाण पत्र (सीडी)
2.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.112/65-90	23 मई 1990	जमा प्रमाण पत्र (सीडी)
3.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.60/65-90	20 दिसम्बर 1990	जमा प्रमाण पत्र (सीडी)
4.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.113/65-91	15 अप्रैल 1991	जमा प्रमाण पत्र (सीडी)
5.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.83/65-92	12 फरवरी 1992	जमा प्रमाण पत्र (सीडी)

6.	डीबीओडी.सं.बीसी.119/12.021.001/92	21 अप्रैल 1992	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 - वृद्धिशील जमा प्रमाण पत्रों पर नकदी प्रारक्षित अनुपात - छूट
7.	डीबीओडी.सं.बीसी.106/21.03.53/93	7 अप्रैल 1993	जमा प्रमाण पत्र (सीडी) - सीमा बढ़ाना
8.	डीबीओडी.सं.बीसी.171/21.03.53/93	11 अक्टूबर 1993	जमा प्रमाण पत्र (सीडी) योजना
9.	डीबीओडी.सं.बीपी बीसी.109/21.03.53/96	9 अगस्त 1996	जमा प्रमाण पत्र (सीडी) योजना
10.	डीबीओडी.सं.बीपी बीसी.49/21.03.53/97	22 अप्रैल 1997	जमा प्रमाण पत्र (सीडी)
11.	डीबीओडी.सं.बीपी बीसी.128/21.03.53/97	21 अक्टूबर 1997	जमा प्रमाण पत्र (सीडी)
12.	डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी.96 /13.03.00 2001-02	29 अप्रैल 2002	डीमैट रूप में जमा प्रमाण पत्र (सीडी) जारी करना
13.	डीबीओडी.सं.बीपी बीसी.115/21.03.53 /2001-02	15 जून 2002	जमा प्रमाण पत्र (सीडी)
14.	डीबीओडी.सं.बीपी बीसी.43/21.03.53 /2002-03	16 नवम्बर 2002	मुद्रा और ऋण नीति -2002 - 03 की मध्यावधि समीक्षा : जमा प्रमाण पत्र
15.	एमपीडी सं.254/07.01.279/2004-05	12 जुलाई 2004	जमा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिशानिर्देश

16.	एमपीडी सं.263/07.01.279/2004-05	28 अप्रैल 2005	जमा प्रमाण पत्र
17.	आइडीएमडी.पीडीआरएस.26/03.64.00/ 2006-07	5 जुलाई 2006	एकल प्राथमिक व्यापारियों द्वारा गतिविधियों का विशाखन -परिचालनगत दिशानिर्देश
18.	एफएमडी.एमएसआरजी.सं. 2063/02.08.003/2009-10	25 फरवरी 2010	जमा प्रमाण पत्र जारी करने की रिपोर्टिंग
19.	एफएमडी.एमएसआरजी.सं. 2905/02.08.003/2009-10	17 जून 2010	जमा प्रमाण पत्र जारी करने की रिपोर्टिंग - ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली
20.	आइडीएमडी.डीओडी11/11.08.36 2009-10	30 जून 2010	जमा प्रमाण पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी)में ओटीसी लेन देनों की रिपोर्टिंग
21.	आइडीएमडी.पीसीडी20/14.01.02/2011-12	5 मार्च 2012	जमा प्रमाण पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) में ओटीसी लेन देनों का समायोजन
22.	एफएमडी.एमएसआरजी.सं. 2908/02.08.003/2011-1012	25 अप्रैल 2012	जमा प्रमाण पत्र जारी करने की रिपोर्टिंग - ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली (ओआरएफएस)
23.	आइडीएमडी.पीसीडी12/14.03.02/2012 -13	26 जून 2013	जमा प्रमाण पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) में ओटीसी लेन देनों का

			समायोजन
24.	आइडीएमडी.पीसीडी13/14.01.02/2013 -14	25 जून 2014	एफ ट्रेक पर ओटीसी लेन देनों की रिपोर्टिंग
25.	एफएमआरडी.डीआइआरडी. 01/14.01.02/2014-15	19 दिसम्बर 2014	एफ ट्रेक प्रति पक्ष पुष्टि
26.	एफएमआरडी.एफएमआइडी. 8/14.01.02/2015-16	28 अप्रैल 2016	एफ ट्रेक प्रति पक्ष पुष्टि

समेकित परिपत्रों की सूची - एनसीडी

क्र. स.	परिपत्र संख्या	विषय
1.	आइडीएमडी.डीओडी.10/11.01.01(ए)2009-10 दि. 23 जून 2010	अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करना
2.	आइडीएमडी.पीसीडी.सं.24/14.03.0(ए)2010-11 दि. 6 दिसम्बर 2010	अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करना